

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा)

तृतीय तल्ला, एस०एल०डी०सी० भवन, कुसई कॉलोनी, डोरंडा, रॉची-834002
फोन संख्या-0651-2491161, फैक्स संख्या-0651.2491165

इच्छा की अभिव्यक्ति (EoI)

EoI No.:13./JREDA/Biogas/2014-15

बायोगैस निर्माण कराने हेतु

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा) द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र (2-6 घनमीटर क्षमता) निर्माण कार्य हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एन०जी०ओ०/सहकारी समितियों/कम्पनी/अन्य संस्थाओं से बन्द लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रित की जाती है।

झारखण्ड के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर आधारित अथवा शौचालय के मल आधारित बायोगैस संयंत्र निर्माण कर अक्षय ऊर्जा के व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जनता को इसके उपयोग हेतु जागरूक करना ताकि अक्षय ऊर्जा का उपयोग वृहद रूप करते हुए पर्यावरण को प्रदूषणरहित बनाये जाने के उद्देश्य से 100 (अद्द) बायोगैस संयंत्र (2-6 घनमीटर क्षमता) निर्माण कार्य कराया जाना है।

इच्छुक सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एन०जी०ओ०/सहकारी समितियों/कम्पनी/अन्य संस्था, झारखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण कराकर अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अपना प्रस्ताव ज्रेडा कार्यालय में दिनांक 14.04.2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक समर्पित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए विस्तृत इच्छा की अभिव्यक्ति (EoI) ज्रेडा वेबसाइट: www.jreda.com से डाउनलोड किया जा सकता है।


निदेशक,
ज्रेडा, रॉची।

(2)

इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या (EoI) : 17/JREDA/Biogas/2014-15

कार्य का नाम:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीनबंधु मॉडल बायोगैस संयंत्र (2-6 घनमीटर क्षमता या 6 घनमीटर क्षमता से अधिक) निर्माण कार्य हेतु।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी में बायोगैस संयंत्र निर्माण कार्य हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एनोजीओ/ सहकारी समितियों/कम्पनी/अन्य संस्थाओं से बन्द लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा रही है। (भाग-1, तकनीकी-कॉर्मशियल)।

उद्देश्य: झारखण्ड के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर आधारित अथवा शौचालय के मल आधारित बायोगैस संयंत्र निर्माण कर अक्षय ऊर्जा के व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जनता को इसके उपयोग हेतु जागरूक करना ताकि अक्षय ऊर्जा का उपयोग वृहद रूप से किया जा सके तथा पर्यावरण को प्रदूषणरहित बनाया जा सके।

कार्य विवरण:- ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज़ेडा) द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एनोजीओ/ सहकारी समितियों/कम्पनी/अन्य संस्थाओं के माध्यम से झारखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराकर अक्षय ऊर्जा के उपयोग हेतु प्राप्त न्युनतम दर पर संस्थाओं का चयन करते हुए पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है।

संवेदक से यह अपेक्षा है कि:-

- वह स्वयं लाभुकों को चिन्हित करेंगे एवं इस क्रम में निर्माण कार्य करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी के पास कम से कम 5 (पाँच) या पर्याप्त मात्रा में वयस्क मवेशी हो तथा लाभार्थी अंशदान की राशि व्यय करने में सक्षम हो साथ ही संयंत्र में प्रतिदिन गोबर एवं पानी का मिश्रण भरने को तैयार हो। शौचालय से जुड़े हुए बायोगैस प्लांट पर ₹ 1000/- प्रति प्लांट अतिरिक्त अनुदान देय होगा। लाभुक को चिन्हित करने के पश्चात् संवेदक द्वारा ज़ेडा को इससे संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने पर ज़ेडा से अनुमोदन पश्चात् निर्माण कार्य

(5)
20/3

प्रारंभ करना होगा। इस क्रम में संवेदक चिन्हित लाभुक का प्रोत्साहित, प्रशिक्षित भी करेंगे एवं लाभुक अंशदान एवं जेडा अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी लाभुक को देंगे।

2. जेडा के द्वारा बायोगैस संयंत्र में निम्न अनुसार अनुदान भुगतान का प्रावधान है:—
 - (i) 2 घन मीटर क्षमता के प्लांट हेतु ₹ 4000/- प्रति घन मीटर की दर अनुसार केन्द्रीय अनुदान देय होगा। 3 घनमीटर से 6 घनमीटर के आकार के प्लांट हेतु भी ₹ 4000/- प्रति घनमीटर राज्य सरकार का अनुदान देय होगा। प्रत्येक प्लांट को 5 वर्ष के रख-रखाव हेतु ₹ 1500/- की राशि प्रति प्लांट देय होगी। शौचालय आधारित प्रत्येक बायोगैस प्लांट हेतु ₹ 1000/- प्रति प्लांट अतिरिक्त अनुदान देय होगा।
 - (ii) अनुदान की राशि का भुगतान, संयंत्र से गैस निकलने, लाभार्थी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने, के साथ साथ अनुदान राशि विमुक्त करने हेतु आवेदन पत्र, जिसमें उल्लेखित हो कि अनुदान की राशि संरक्षा को देने हेतु प्राधिकृत करता हूँ एवं लाभार्थी द्वारा प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाएगा कि संयंत्र में सभी उपकरण लगे हुए हैं, संयंत्र से गैस प्राप्त हो रहा है, लाभार्थी प्रमाण पत्र में उपकरणों की सूची दर्ज हो तथा जेडा प्रतिनिधि द्वारा शत्-प्रतिशत संयंत्रों का भौतिक सत्यापन/जॉच के पश्चात् संवेदक/लाभुक को अनुदान देय होगा।
3. 2, 4 एवं 6 घनमीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्र का निर्माण बराबर अनुपात में करना अनिवार्य है।
4. संयंत्र के उपरी भाग पर “(क) जेडा द्वारा देय अनुदान से निर्मित, (ख) निर्माण का वित्तीय वर्ष, (ग) लाभुक का नाम एवं (घ) निर्माणकर्ता का नाम” अंकित करना अनिवार्य होता है।
5. संयंत्र के निर्माण में व्यय की गई राशि का विवरण तथा ड्राइंग (अवयव वार मापी सहित) विपत्र के साथ संलग्न करना होता है।
6. प्रत्येक संयंत्र का दो डिजिटल फोटो (सी0डी0/डी0भी0डी0 में) समर्पित करना अनिवार्य है। फोटो के पीछे संयंत्र के स्थान एवं लाभार्थी का नाम अंकित हो। एक लाभार्थी को संयंत्र के पास खड़ाकर फोटो लिया जाएगा ताकि संयंत्र के

साथ लाभार्थी का फोटो भी चित्रित हो तथा दूसरा जलते हुए चूल्हे के साथ होना चाहिए।

7. संस्था को पाँच साल तक संयंत्र की मरम्मत करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तत्संबंधी शपथ पत्र संस्था द्वारा ज्रेडा को देना होगा।
8. रख—रखाव की फीस दो किस्त में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किस्त संयंत्र चालू होने के दो साल बाद तथा दूसरा अर्थात् अंतिम किस्त चार साल के बाद देय होगा। रख—रखाव फीस की दोनों किस्तों में भुगतान हेतु लाभार्थी से संयंत्र कार्यरत होने का प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।
9. निर्माणाधीन संयंत्र का निरीक्षण ज्रेडा द्वारा किया जाएगा। अतः निरीक्षण हेतु पत्र ज्रेडा में समर्पित करना अनिवार्य है।
10. उपयोगिता प्रमाण—पत्र का बुकलेट (binding) के अलावे, निर्माण किये गये बायोगैस संयंत्रों के लाभुकों की सूची तथा ग्रामवार, प्रखण्डवार तथा जिलावार सारांष विपत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है।
11. विपत्र के साथ इस संयंत्र अनुदान अन्य किसी एजेन्सी द्वारा नहीं लिया गया है तथा नहीं लिया जाएगा, का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. बायोगैस संयंत्र के आउटलेट में ढक्कन लगाना अनिवार्य है।
13. बायोगैस संयंत्र का निर्माण Cluster village में करना अनिवार्य है।
14. 6 (छ:) घनमीटर बायोगैस में लाभुकों को **double chulha** देना अनिवार्य है।

झारखण्ड राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक के पास बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु कुशल बायोगैस तकनीशियन, कुशल राजमिस्त्री, वित्तीय सामर्थ्य होना अनिवार्य है। साथ ही साथ संवेदक को समय—समय पर ज्रेडा कार्यालय को निर्माण किये गये बायोगैस संयंत्रों की जानकारी देनी होगी।

II. शर्तेः—

- I. निविदा कागजात बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं कॉमर्शियल भाग समर्पित करना अनिवार्य है।
- II. इच्छा की अभिव्यक्ति शुल्क की राशि ₹0 1000/- (एक हजार) बैंक ड्राफ्ट, निदेशक ज्रेडा के पदनाम से समर्पित करना अनिवार्य है।
- III. इच्छुक संस्था / N.G.O/Pvt. Ltd. को अपना पूरा बायोडाटा संलग्न करना अनिवार्य होगा।



(ü)

- IV. पूर्व कार्य अनुभवः— निविदादाता को बायोगैस संयंत्र निर्माण का अथवा इसी प्रकार के अन्य सिवील निर्माण कार्यों का सरकारी क्षेत्रों में अनुभव होना आवश्यक है। इसका प्रमाण हेतु कार्यादेश एवं उसका संतोषजनक कप्लीशन सर्टिफिकेट समर्पित करना है, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। संवेदक का आयकर विभाग से पैन कार्ड आवंटन आवश्यक है एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि समर्पित करें।
- V. भुगतान इस मद में राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा एवं कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- VI. दिनांक 14.02.2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक जेडा कार्यालय में इच्छा की अभिव्यक्ति कागजात जमा करना अनिवार्य है। दिनांक 14.02.2015 को अपराह्न 3:30 बजे क्रय समिति के समक्ष इच्छा की अभिव्यक्ति खोला जाएगा।
- VII. यह निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। परन्तु अवधि घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
- VIII. किसी भी समय बिना सूचना के निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

III. निविदादाताओं के लिए निर्देशः—

लिफाफा—1

1. भाग—1 (तकनीकी एवं कॉर्मर्शियल) के लिफाफा पर तकनीकी बीड़ लिखा एवं सील होना चाहिए।
2. चेक लिस्ट जो कि अनुलग्नक—क में है को भरकर समर्पित करना है।


निदेशक
जेडा, राँची।

अनुलग्नक—क

इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या (EoI) | ७/ JREDA/Biogas/2014-15

बिड का तकनीकी चेकलिस्ट

क्रमांक	विवरण	हाँ/नहीं	पेज नं०
1	इच्छा की अभिव्यक्ति की राशि ₹० 1000/- (एक हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट।		
2	स्व अभिप्राणित पैन कार्ड की छायाप्रति।		
3	पूर्व कार्यनुभव का छायाप्रति।		
4	स्व अभिप्राणित संस्था का बायोडाटा की छायाप्रति।		
5	स्व अभिप्राणित वित्तीय सामर्थ्य की छायाप्रति।		
6	संस्था के अन्तर्गत कार्यरत कुशल राजमिस्त्री की संख्या।		

निविदादाता का हस्ताक्षर